रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14, 95.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 10 अप्रैल, 1995/20 चैत्र, 1917

संख्या 10/66/-74-सि0 सं0

भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

11 मार्च, 1995
नई दिल्ली———————————
फाल्गुन 21, 1916 (शक) ।

संकल्प

1. जबकि यमुना बेसिन में ओखला तक भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने ओखला तक यमुना के प्रवाह के आबंटन के संबंध में दिनांक 12-5-1994 को समझौता ज्ञापन (संलग्नक-I) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके खण्ड 7 (iii) में प्रावधान है कि इस समझौते के समग्र ढांचे के अन्तर्गत ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा लाभान्वित होने वाले राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाह के आबंटन का विनियमन किया जाएगा ।

2. और जबकि राज्य, ओखला सहित ओखला तक, यमुना नदी के समन्वित प्रबन्धन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को स्थापना के लिए सहमत हैं ।

3. और जबकि राज्य रेणुका बांध, किशाऊ बांध, लखवार व्यासी परियोजना, हथनीकुंड बराज और दिल्ली के लिए समानांतर जल वाहक प्रणाली के निर्माण के लिए सहमत हैं और चतरा, चामी नैनगांव, अरंगपुर तथा धौज/कोट भण्डारण परियोजनाएं राज्यों द्वारा निर्माण हेतु अभिज्ञात की गई हैं ।

4. और जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इस बात से सहमत हैं कि राज्यों को अपनी-अपनी सीमाओं के अन्दर यमुना जल के गैर-खपतकारी उपयोग का अन्य अधिकार होगा ।

5. और जबकि राज्य इस बात से सहमत हैं कि पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष ताजेवाला/हथनीकुंड हैडवर्क्स के अनुप्रवाह एवं ओखला हैडवर्क्स के अनुप्रवाह में जैसे-जैसे प्रतिप्रवाह भण्डारण सोपानबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर बनाये जायेंगे, 10 क्यूमेक तक न्यूनतम प्रवाह, भंडारणों के निर्माण के अनुपात में बनाए रखा जायेगा ।

6. अतः जब, ओखला तक यमुना नदी के समन्वित विकास और प्रबन्धन की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए तथा यमुना नदी के जल के इष्टतम उपयोग एवं नदी की पारिस्थितिकी बनाये रखने और बेसिन राज्यों को जल का विनियमन एवं आपूर्ति करने के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड, जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा, का एतद्द्वारा इस प्रयोजन के लिए निम्नानुसार गठन किया जाता है :—

(i) बोर्ड ओखला बराज तक यमुना घाटी में अथवा ऐसे क्षेत्रों में अपने कार्य करेगा तथा सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे । केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों के बीच सहमति का प्रयास करेगी ।

(ii) बोर्ड का गठन और इसके कार्यकलाप संलग्नक-II में दिए गए अनुसार होंगे ।

7. ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति के नाम से केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री/राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षण समिति होगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य मंत्री (राष्ट्रपति शासन के दौरान संबन्धित राज्यपाल) शामिल होंगे, जो ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के कामकाज का पर्यवेक्षण करेगी एवं यमुना के सतही प्रवाह के आबंटन के संबंध में दिनांक 12-5-1994 के समझौता ज्ञापन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी तथा ओखला तक यमुना नदी बेसिन की ऊपरी पहुंचों के समुचित विकास और प्रबन्धन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगी । बोर्ड के निर्णयों पर यदि कोई असहमति हो, तो उसे पुनरीक्षण समिति के किसी सदस्य द्वारा पुनरीक्षण समिति के पास विचारार्थ भेजा जा सकता है । समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार होगी और समिति, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट पर आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए विचार करेगी । ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति अपने नियम और पद्धतियां स्वयं बनायेगी । ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के अध्यक्ष, ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति के सचिव होंगे ।

हस्ताक्षरित/-
(एम0 एस0 रडडी)
सचिव, भारत सरकार ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प संलग्नकों सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिवों, प्रधानमंत्री सचिवालय, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के पास सूचनार्थ भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प संलग्नकों सहित भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों से इसे राज्य के राजपत्रों में आम सूचना के लिए प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाए।

हस्ताक्षरित/-
(एम0 एस0 रेड्डी)
सचिव, भारत सरकार।

संलनक-I.

यमुना के सतही प्रवाह के आबंटन के संबंध में उत्तर प्रदेश हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन

1. जबकि ओखला तक यमुना नदी में 75% विश्वसनीय अवधारित अप्रयुक्त प्रवाह 11.70 बिलियन घन मीटर आंका गया है और औसत वार्षिक उपलब्धता 13.00 बिलियन घन मीटर आंकी गई है।

2. और जबकि बिना विनिर्दिष्ट आबंटन के सिंचाई एवं पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेसिन राज्यों द्वारा ताजेवाला तथा ओखला से जल का उपयोग किया जा रहा था।

3. और जबकि कुछ बेसिन राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में मांग की गई है और काफी समय से यमुना नदी के उपयोज्य जल संसाधन के विनिर्दिष्ट आबंटन की आवश्यकता महसूस की गई है।

4. और जबकि यमुना नदी के सतही प्रवाह का उपयोग अधिकाधिक करने के लिए अनेक भण्डारण परियोजनाओं का पता लगाया गया है।

5. और जबकि सभी राज्य इस बात से सहमत हैं कि पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष ताजेवाला हैडवर्क्स के अनुप्रवाह एवं ओखला हैडवर्क्स के अनुप्रवाह में जैसे-जैसे प्रतिप्रवाह भण्डारण सोपानबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर बनाए जायेंगे 10 क्यूमेक तक न्यूनतम प्रवाह, भण्डारणों के निर्माण के अनुपात में बनाए रखा जाएगा।

6. और जबकि यह प्राक्कलन किया गया है कि बाढ़ उत्सलव के कारण 0.68 बिलियन घन मीटर जल की मात्रा का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

7. अतः जब बेसिन राज्य अपनी सिंचाई और खपतकारी पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर औसत वार्षिक उपलब्धता के आधार पर यमुना नदी के उपयोज्य जल संसाधनों के निम्नलिखित आबंटन पर सहमत हैं :

1. हरियाणा	5.730 बिलियन घन मीटर
2. उत्तर प्रदेश	4.032 बिलियन घन मीटर
3. राजस्थान	1.119 बिलियन घन मीटर
4. हिमाचल प्रदेश	0.378 बिलियन घन मीटर
5. दिल्ली	0.724 बिलियन घन मीटर

बशर्ते कि निम्नलिखित को पूरा किया जाए :

(i) इस नदी के ऊपरी कछार में भण्डारणों का निर्माण होने तक यमुना नदी के वार्षिक उपयोज्य प्रवाह का निम्नानुसार अन्तरिम मौसमी आबंटन होगा :—

राज्य	यमुना जल का मौसमी आबंटन (बिलियन घन मीटर)			
	जुलाई-अक्तूबर	नवम्बर-फरवरी	मार्च-जून	वार्षिक
हरियाणा	4.107	0.686	0.937	5.730
उत्तर प्रदेश	3.216	0.343	0.473	4.032
राजस्थान	0.963	0.070	0.086	1.119
हिमाचल प्रदेश	0.190	0.108	0.080	0.378
दिल्ली	0.580	0.068	0.076	0.724
योग ..	9.056	1.275	1.652	11.983

प्रावधान है कि अन्तरिम मौसमी आबंटन दस दिवसीय आधार पर वितरित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि जैसे-जैसे भण्डारणों का निर्माण किया जाएगा, उपरोक्त अन्तरिम मौसमी आबंटन पैरा 7 में दिखाए गए अन्तिम वार्षिक आबंटन के अनुरूप क्रमिक रूप से संशोधित होते जाएंगे।

(ii) इस समझौते के अन्तर्गत किए गए समग्र आबंटन के ढांचे में प्रत्येक अभिशत भण्डारण के सम्बन्ध में अलग से समझौता किया जाएगा।

(iii) इस समझौते के समग्र ढांचे के अन्तर्गत, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड द्वारा, लाभान्वित होने वाले राज्यों के बीच उपलब्ध प्रवाहों का आबंटन विनियमित किया जाएगा।

प्रावधान है कि किसी वर्ष में जब जल उपलब्धता आकलन की गई मात्रा से अधिक हो तो अधिशेष उपलब्ध जल को राज्यों के बीच उनके आबंटन के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

यह भी प्रावधान है कि किसी वर्ष में जब जल उपलब्धता आकलन की गई मात्रा से कम हो तो पहले दिल्ली के पेयजल आबंटन को पूरा किया जाएगा तथा शेष जल को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच उनके आबंटन के अनुपात में वितरित किया जाएगा।

8. इस समझौते की वर्ष 2025 के बाद पुनरीक्षा की जा सकती है यदि बेसिन राज्यों में से कोई राज्य ऐसी मांग करता है।

9. इस समझौते को शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा दी गई सहायता और परामर्श का हम उल्लेख करते हैं एवं कृतज्ञ भाव से आभार प्रकट करते हैं।

नई दिल्ली, 12 मई, 1994.

हस्ताक्षरित/-
(मुलायम सिंह यादव)
मुख्य मन्त्री,
उत्तर प्रदेश।

हस्ताक्षरित/-
(भजन लाल)
मुख्य मन्त्री,
हरियाणा।

हस्ताक्षरित/-
(भैरों सिंह शेखावत)
मुख्य मन्त्री,
राजस्थान।

हस्ताक्षरित/-
(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश।

हस्ताक्षरित/-
(मदन लाल खुराना)
मुख्य मन्त्री
दिल्ली।

उपस्थिति में :

हस्ताक्षरित/-
(विद्याचरण शुक्ल)
मन्त्री (जल संसाधन)

संलग्नक-II.

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का गठन और उसके कार्य

1. गठन :

सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग, बोर्ड के अंशकालिक अध्यक्ष होंगे और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों से मनोनीत एक-एक अधिकारी जिनका ओहदा मुख्य इन्जीनियर से कम न हो और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक मुख्य इंजीनियर तथा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के प्रतिनिधि इसके अंशकालिक सदस्य होंगे।

बोर्ड का एक पूर्णकालिक सदस्य-सचिव होगा। उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा एक बार में तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह इन दिनों भी बेसिन राज्यों से संबंधित नहीं होगा।

2. कार्य :

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे :

(क) दिनांक 12-5-1994 के समझौता ज्ञापन के अनुसरण में बेसिन राज्य सरकारों के मध्य हुए समझौते अथवा की गई व्यवस्थाओं का ध्यान रखकर ओखला बराज सहित ओखला तक विद्यमान एवं नदी प्रवाही जल-विद्युत केन्द्रों की अतिभार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी भण्डारणों और

बराजों से जल का विनियमन एवं आपूर्ति करना। नियंत्रण संरचनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण, प्रत्येक संरचना के सम्बन्ध में समझौतों के अनुसार, संबन्धित राज्यों को करना होगा। यदि किसी समय किसी संरचना से प्रवाहों के विनियमन के संबन्ध में विवाद होता है तो बोर्ड उस संरचना के संचालन एवं नियंत्रण का कार्य उस समय तक करेगा जब तक कि विवाद का समाधान नहीं हो जाता परन्तु ऐसा कार्य पुनरीक्षण समिति के अनुमोदन से किया जाएगा तथा यह भी कि पुनरीक्षण समिति की बैठक 15 दिन के भीतर नहीं हो पाती है तो पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष इस संबंध में निर्णय करेंगे।

(ख) परिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए पूरे वर्ष ताजेवाला/हथनीकुंड हैडवर्क्स के अनुप्रवाह एवं ओखला हेडवर्क्स के अनुप्रवाह में, जैसे-जैसे प्रतिप्रवाह भंडारण सोपानबद्ध तरीके से उत्तरोत्तर बनाये जायेंगे, 10 क्यूमेक तक न्यूनतम प्रवाह भण्डारणों के निर्माण अनुपात में बनाये रखना।

(ग) सहमति अनुसार, यमुना से दिल्ली द्वारा लिये गए जल से नगरीय और पेयजल उद्देश्यों के लिए खपतकारी प्रयोग के बाद तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार बहिस्त्राव की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपचार उपलब्ध कराने के पश्चात् वापसी प्रवाहों का प्रबोधन करना। इस उद्देश्य के लिए बोर्ड, संबन्धित बेसिन राज्यों के परामर्श से ऐसी योजना तैयार करेगा जिसमें, वह स्थान जहां से कच्चा पानी लिया जाएगा तथा उसकी मात्रा और वह स्थान जहां पर उचित उपचार के पश्चात् अधिक लिए गए जल को प्रणाली को वापिस किया जाएगा, का विवरण दिया गया होगा।

(घ) गाद निकालने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा राज्यों द्वारा यमुना से लिए गए जल के वापसी प्रवाहों का प्रबोधन करना।

(ङ) हथनीकुंड के प्रतिप्रवाह पर यमुना नदी से खारा जल-विद्युत केन्द्र की टेल रस चैनल से प्रवाह का प्रबोधन करना, बशर्ते कि हथनीकुंड बराज का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो खारा टल रेस चैनल का इष्टतम प्रचालन सुनिश्चित कर सके और पश्चिमी यमुना नहर की द्वितीय चरण की जल-विद्युत परियोजना का प्रावधान भी रखा जाये।

(च) विनियमन के प्रयोजन से प्रत्येक राज्य हेतु प्रति 10 दिन के लिए जल की हिस्सेदारी का हिसाब रखने और उसका निर्धारण करने के लिए नियम एवं विनियम बनाना।

(छ) बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे गए सभी केन्द्रों पर यमुना के प्रवाहों का समवर्ती अभिलेख रखना, अभिलेखों पर विचार/उन्हें पूरा करना एवं प्रत्येक जल वर्ष में यमुना नदी में बहने वाले जल की मात्रा का निर्धारण।

(ज) सिंचाई, घरेलू, नगरीय एवं औद्योगिक अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु निकासियों एवं ओखला से नीचे नदी में जल प्रवाह के आंकड़ों का समवर्ती रिकार्ड रखना।

(झ) सभी आवश्यक उपाय जैसे कि सेल्फ रिकार्डिंग गेजों की प्रतिष्ठापना, बिना किसी बाधा के प्रेक्षण, रेटिंग कर्व तैयार करने के संबंध में दिशा निर्देश आदि, करके सभी संबंधित राज्यों को उनकी हकदारियों के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करना। ऐसे नियंत्रण केन्द्रों का चयन करना, जहां बोर्ड उपरोक्त समुचित उपाय करना चाहता हो जिनमें वे सब केन्द्र, जहां यमुना जल का बंटवारा एक से अधिक राज्यों के बीच किया जा रहा हो तथा संबन्धित नदियों एवं नहरों पर स्थित वे सब विनियमन केन्द्र जहां बंटवारे के योग्य आपूर्ति का निर्धारण किया जा रहा हो, शामिल किए जायेंगे परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं रहेंगे। जहां तक नियंत्रण केन्द्रों के चयन का संबन्ध है, बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा। सभी

संबन्धित राज्य पूर्ण रूप से सहयोग देंगे और उनकी हदारियों के अनुसार बोर्ड द्वारा निश्चित की गई आपूर्तियों को सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तियों का विनियमन एवं नियंत्रण, फाटकों का प्रचालन और उनके सीमा क्षेत्र में किन्हीं अन्य मामलों में बोर्ड के दिन-प्रतिदिन के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे।

(ण) संबंन्धित कार्यकलापों का समन्वय करना और उपयुक्त दिशा-निर्देश देना ताकि जहां तक संभव हो निम्नलिखित का पालन सुनिश्चित किया जा सके :

(1) निधियों की उपलब्धता और शीघ्र परिणाम प्राप्त करने की वांछनीयता को ध्यान में रखकर विभिन्न संरचनाओं का निर्माण।

(2) पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, उद्योग, जल-विद्युत, बाढ़ नियंत्रण आदि जैसे विभिन्न प्रयोगों के लिए योजनाओं का एकीकृत संचालन जिनमें बेसिन राज्यों के बीच समझौतों में प्रावधानों के अनुसार विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के दौरान निकासियां भी शामिल हैं।

(3) भूजल एवं सतही जल की गुणवत्ता का प्रबोधन; संरक्षण एवं उन्नयन करना ; और

(4) अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन।

(त) जल ग्रहण क्षेत्र उपचार, जल विभाजक प्रबन्धन, प्रभावित आबादी का पुनर्वास तथा अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के पर्यावरण के संरक्षण हेतु योजनाएं एवं अन्य राज्यों के क्षेत्रों को जल मग्न करने वाली परियोजनाओं का सिंहावलोकन।

(थ) ओखला बराज तक तथा ओखला बराज सहित सभी परियोजनाओं की प्रगति का प्रबोधन एवं पुनरीक्षण तथा बेसिन राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य योजनाओं के आधार पर परियोजनाओं को चरणबद्ध करने के लिए परामर्श देना।

(द) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के परामर्श से ऊपरी यमुना जल ग्रहणक्षेत्र में भूजल के अतिदोहन का प्रबोधन करना तथा ऐसे विनियम बनाना जिनसे भूजल के अतिदोहन को रोका जा सके जो कि सतही प्रवाह के लिए हानिकारक हैं तथा जिनसे विशेष रूप से नदी प्रणाली में न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

(ध) प्रत्येक वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ बेसिन राज्यों को भी प्रस्तुत करना।

(न) ऐसे अन्य कार्य जो केन्द्रीय सरकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ परामर्श करके सौंपना चाहे।

3. बोर्ड इस संकल्प के तहत अपने कार्यों को करने के लिए समय-समय पर एक या अधिक सलाहकार समिति या समितियों नियुक्त कर सकता है।

4. बोर्ड आवश्यकता के अनुसार बैठक आयोजित करेगा किन्तु प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बैठक अवश्य करेगा तथा भण्डारणों और नदी प्रणालियों से जल निकासी के तरीके तथा ब्यौरे सहित जल के उचित प्रबन्ध करने पर निर्णय लेगा।

5. बोर्ड का अध्यक्ष अथवा विधिवत रूप से अधिकृत बोर्ड के प्रतिनिधियों में से किसी को भी किसी भूमि, संपत्ति, जिस पर यमुना जल के प्रयोग के लिए कोई परियोजना या किसी परियोजना का विकास या साम संबंधी कोई कार्य या कोई अन्य जल वैज्ञानिक केन्द्र या मापक उपकरण का किसी राज्य द्वारा निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन किया गया है अथवा किया जा रहा है, पर जाने का अधिकार होगा। इस संबन्ध में प्रत्ये

राज्य अपने उपयुक्त विभागों के जरिए बोर्ड को तथा बोर्ड के अधिकृत प्रतिनिधियों को सभी प्रकार का सहयोग एवं सहायता प्रदान करेगा ।

6. बोर्ड को उतने कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा जितने कि वह अपने कार्यों के कुशलता-पूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है । इस उद्देश्य के लिए, बोर्ड सभी सदस्य राज्यों तथा केन्द्र से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी प्राप्त करने का प्रयास करेगा ।

7. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड पर किये जाने वाले व्यय को बेसिन राज्यों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा ।

8. बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित की व्यवस्था के लिए नियम और विनियम बना सकता है ।

(क) बोर्ड की बैठक के समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में कार्यों के लिए अपनाई जाने वाली कार्य विधि का विनियमन ।
(ख) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अधिकारी को अधिकारों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन ।
(ग) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों का विनियमन ।
(घ) कोई अन्य मामला जिस पर बोर्ड विनियमन बनाना आवश्यक समझता है ।

प्रतिलिपि अग्रेषित :—

1-10 ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यगण जैसा कि संलग्नक-II के पैरा-1 में दिया गया है ।

11-16 ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण जैसा कि संकल्प के पैरा-7 में दिया गया है ।

17. ऊपरी यमुना पुनरीक्षण समिति के सचिव जैसा कि संकल्प के पैरा-7 में दिया गया है ।

हस्ताक्षरित/-
(कृष्ण पाल सिंह)
संयुक्त आयुक्त (सिन्धु) ।

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. (क) भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव ।
(ख) भारत के राष्ट्रपति के सैनिक सचिव ।
(ग) भारत के प्रधानमन्त्री के प्रधान सचिव ।
(घ) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभागों के सचिव

3. हरियाणा सरकार :

(क) हरियाणा के राज्यपाल के निजी सचिव, चण्डीगढ़ ।
(ख) हरियाणा के मुख्यमन्त्री के निजी सचिव, चण्डीगढ़ ।
(ग) हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव, चण्डीगढ ।
(घ) वित्त आयुक्त एवं सचिव, सिंचाई एवं विद्युत विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
(ङ) अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड चण्डीगढ़ ।

4. उत्तर प्रदेश सरकार :

(क) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के निजी सचिव, लखनऊ।
(ख) उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के निजी सचिव, लखनऊ।
(ग) उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, लखनऊ ।
(घ) प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(ङ) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, लखनऊ

5. राजस्थान सरकार :

(क) राजस्थान के राज्यपाल के निजी सचिव, जयपुर ।
(ख) राजस्थान के मुख्य मन्त्री के निजी सचिव, जयपुर।
(ग) राजस्थान के मुख्य सचिव, जयपुर।
(घ) सचिव, सिंचाई विभाग, जयपुर।
(ङ) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, जयपुर

6. हिमाचल प्रदेश सरकार :

(क) हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के निजी सचिव, शिमला।
(ख) हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री के निजी सचिव, शिमला ।
(ग) हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव, शिमला ।
(घ) सचिव, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य विभाग, शिमला।
(ङ) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत, बोर्ड, शिमला ।

7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली :

(क) उपराज्यपाल के निजी सचिव, दिल्ली ।
(ख) मुख्यमन्त्री के निजी सचिव, दिल्ली ।
(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव ।
(घ) सचिव, शहरी विकास विभाग, दिल्ली ।

8. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
9. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली ।
10. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. योजना आयोग, नई दिल्ली।
12 व 13. जल संसाधन मन्त्री/जल संसाधन राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
14. जल संसाधन मंत्रालय में सचिव के निजी सचिव।

15. जल संसाधन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के निजी सचिव ।
16-22. जल संसाधन मंत्रालय में आयुक्त (सिन्धु/पी० पी०/परियोजना/सी० ए० डी०/ज० प्र०/ ल० सि०/पू० नं० दिल्ली) ।
23-24. संयुक्त सचिव (प्रशा०)/वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
25. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, फरीदाबाद ।
26. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली ।
27. महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली ।
28. कुध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना ।
29. प्रबन्ध निदेशक, जल एवं विद्युत परामर्श सेवायें सोसाइटी, नई दिल्ली ।
30. निदेशक, केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान शाखा, पुणे ।
31. निदेशक, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की ।
32. निदेशक, केन्द्रीय मृदा सामग्री अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ।
33. कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर ।
34. सचिव, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकारी समिति, बड़ौदरा ।
35. सदस्य-सचिव, केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड, नई दिल्ली ।
36. उप प्रधान सूचना अधिकारी, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
37-38. संपादक, भगीरथ [अंग्रेजी/भगीरथ (हिन्दी)], केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली ।

हस्ताक्षरित/-
(कृष्ण पाल सिंह),
संयुक्त आयुक्त (सिन्धु)।

NO. 10 (66)/74-IT

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 11th March, 1995
Phalguna 20, 1016 (Saka)

RESOLUTION

WHEREAS the States of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh and National Capital Territory of Delhi having their geographical areas in the Yamuna basin upto Okhla have signed a Memorandum of Understanding on 12th May, 1994 regarding allocation of surface flow of Yamuna upto Okhla (copy enclosed as Annexure-I) wherein clause 7 (iii) provides that the allocation of available flows amongst the beneficiary States will be regulated by the Upper Yamuna River Board within the overall framework of the agreement.

2. AND WHEREAS the States have agreed on the establishment of Upper Yamuna River Board by the Central Government for the coordinated management of river Yamuna upto and including Okhla.

3. AND WHEREAS the States have agreed for the construction of the Renuka dam, Kishau dam, Lakhwar Vyasi Project, Hathnikund Barrage and Parallel Water Carrier System for Delhi,

and have identified Chatra, Chami Naingaon, Agrangpur and Dhouj/Kot Storage Projects for construction.

4. AND WHEREAS the States of Uttar Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh and NCT of Delhi have agreed that the States shall have exclusive right to the non-consumptive use of Yamuna water within their respective territories.

5. AND WHEREAS the States have agreed that a minimum flow in proportion of completion of upstream storages going upto 10 cumec shall be maintained downstream of Tajewala/Hathnikund and downstream of Okhla Headworks throughout the year from ecological considerations as upstream storages are built up progressively in a phased manner.

6. NOW, THEREFORE, having recognised the need for coordinated development and management of Yamuna river upto Okhla and with a view to achieve optimal utilisation of the waters of river Yamuna, for maintaining the ecology of the river and for regulation and supply of water to the Basin States, an Upper Yamuna River Board with headquaters at Delhi is hereby constituted for the purpose on the following lines:

(*i*) The Board shall perform its functions and exercise powers as conferred upon it in the Yamuna Valley upto Okhla Barrage or in such areas as the Central Government in consultation with the State Government, may by Notification in the Official Gazette, specify from time to time. The Central Government shall endeavour to secure agreement amongst the state Governments for this purpose.

(*ii*) The Constitution of the Board and its functions will be as given the Annexure-II.

7. There shall be a Review Committee to be known as the Upper Yamuna Review Committee comprising the Chief Ministers (Governor in case of President's Rule) of the States of Himachal Pradesh, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and the National Capital Territory of Delhi under the Chairmanship of the Union Minister/Minister of State for Water Resources which shall supervise the working of the Upper Yamuna River Board and to ensure implementation of MoU dated 12-5-1994 regarding allocation of surface flow of Yamuna and issue directions as may be necessary for the proper development and management of the upper reaches of the Yamuna River Basin upto Okhla. Disagreement, if any, on the decisions of the Board may be referred to the Review Committee by a member of the Review Committee. The Committee shall meet atleast once every year and shall consider the Annual Report presented by the Upper Yamuna River Board for further directions as may be necessary. The Upper Yamuna Review Committee shall frame its own rules and procedures. Chairman of the Upper Yamuna River Board shall be the secretary of the Upper Yamuna Reiview Committee.

Sd/-
(M. S. REDDY)
Secretary to the Government of India.

ORDER

Ordered that this Resolution alongwith its Annexures be communicated to the State Governments of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh and National Capital Territory of Delhi, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Secretariat the Controller and Auditor General of India, the Planning Commission and all Ministeries/Departments of Central Government for information.

Ordered also that the Resolution alongwith its Annexures be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

Sd/-
(M. S. REDDY)
Secretary to the Government of India.

ANNEXURE-I.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN UTTAR PRADESH, HARYANA, RAJASTHAN, HIMACHAL PRADESH AND NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI REGARDING ALLOCATION OF SURFACE FLOW OF YAMUNA

1. WHEREAS the 75% dependable notional virgin flow in the Yamuna river upto Okhla has been assessed as 11.70 Billion Cubic Metres (BCM) and the mean year availability has been assessed as 13.00 BCM.

2. AND WHEREAS the water was being utilised by the Basin States ex-Tajewala and ex-Okhla for meeting the irrigation and drinking water needs without any specific allocation.

3. AND WHEREAS a demand has been made by some Basin States on this account and the need for a specified allocation of the utilisable water resources of river Yamuna has been felt for a long time.

4. AND WHEREAS to maximise the utilisation of the surface flow of river Yamuna a number of storage projects have been identified.

5. AND WHEREAS the States have agreed that a minimum flow in proportion of completion of upstream storages going upto 10 cumec shall be maintained downstream of Tajewala and downstream of Okhla Headworks throughout the year from ecological considerations, as upstream storages are built up progressively in a phased manner.

6. AND WHEREAS it has been assessed that a quantum of 0.68 BCM may not be utilisable due to flood spills.

7. NOW THEREFORE, considering their irrigation and consumptive drinking water requirements the Basin States agree on the following allocation of the utilisable water resources of river Yamuna assessed on mean year availability :

1.	Haryana	5.730	BCM
2.	Uttar Pradesh	4.032	BCM
3.	Rajasthan	1.119	BCM
4.	Himachal Pradesh	0.378	BCM
5.	Delhi	0.724	BCM

Subject to the following :

(*i*) Pending construction of the storages in the upper reaches of the river, there shall be an interim seasonal allocation of the annual utilisable flow of river Yamuna as follows:—

States	Seasonal Allocation of Yamuna Water (BMC)			
	July-October	November-February	March-June	Annual
Haryana	4.107	0.686	0.937	5.730
Uttar Pradesh	3.216	0.343	0.473	4.032
Rajasthan	0.963	0.070	0.086	1.119
Himachal Pradesh	0.190	0.108	0.080	0.378
Delhi	0.580	0.068	0.076	0.724
Total	9.056	1.275	1.652	11.983

Provided that the interim seasonal allocations will be distributed on ten daily basis:

Provided further that the said interim seasonal allocations shall get progressively modified, as storages are constructed, to the final annual allocations as indicated in para 7 above.

(*ii*) Separate agreement will be executed in respect of each identified storage within the framework of overall allocation made under this agreement.

(*iii*) The allocation of available flows amongst the beneficiary States will be regulated by the Upper Yamuna River Board within the overall framework of this agreement:

Provided that in the year when availability is more than the assessed quantity, the surplus availability will be distributed amongst the States in proportion to their allocations:

Provided also that in a year when the availability is less than the assessed quantity, first the drinking water allocation of Delhi will be met and the balance will be distributed amongst Haryana U. P., Rajasthan and Himachal Pradesh in proportion to their allocations.

8. This agreement may be reviewed after the year 2025, if any of the basin States so demand.

9. We place on record and gratefully acknowledge the assistance and advice given by the Union Minister of Water Resources in arriving at this expeditious and amicable settlement.

New Delhi, the 12th May, 1994.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
MULAYAM SINGH YADAV,	BHAJAN LAL	BHAIRON SINGH SHEKHAWAT,
Chief Minister,	*Chief Minister,*	*Chief Minister.*
Uttar Pradesh.	*Haryana.*	*Rajasthan.*

Sd/-	Sd/-
VIRBHADRA SINGH,	MADAN LAL KHURANA,
Chief Minister, Himachal Pradesh.	*Chief Minister Delhi.*

In the presence of:

VIDYACHARAN SHUKLA,
Minister (Water Resources).

ANNEXURE-II.

CONSTITUTION AND FUNCTIONS OF UPPER YAMUNA RIVER BOARD

1. Constitution :

The Board shall consist of Member, Central Water Commission as part time Chairman and one nominee each from the States of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh and National Capital Territory of Delhi not below the rank of Chief Engineer and a Chief Engineer of Central Electricity Authority and representatives of Central Ground Water Board and Central Pollution Control Board as part time members.

The Board shall have a full time Member-Secretary. He shall be appointed by the Central Government for a period of three years at a time and he shall not belong to any of the basin States.

2. Functions :

The functions of the Upper Yamuna River Board shall include:—

(*a*) Regulation and supply of water from all storages and barrages upto and including Okhla Barrage, having regard to the agreements entered into or the arrangements made between the Governments of Basin States in pursuance of MoU dated 12-5-94 but keeping in view the peaking requirements of the existing and run-of-the river hydro power stations. The operation and maintenance of the control structures shall remain with the respective States as per agreements in respect of each structure. Should, at any time, there be a dispute regarding regulation of flows at any of the structures, the Board shall take over the operation and control of that structure till the dispute is resovled; provided such take over shall take place with the approval of the Review Committee; provided further that if the Review Committee could not meet within 15 days, Chairman Review Committee shall take a decision in this regard.

(*b*) Maintenance of a minimum flow, in proportion of completion of upstream storages, going upto 10 cumec downstream of Tajewala/Hathnikund and downstream of Okhla Headworks throughout the year from ecological considerations as upstream storages are built up progressively in a phased manner.

(*c*) Monitoring return flows from the waters withdrawn by Delhi from Yamuna after allowing for the consumptive use for the municipal and drinking water purposes as agreed to and after providing treatment to ensure the proper quality of the effluent as per standards of Central Pollution Control Board. For this purpose, the Board shall chalk out a plan in consultation with the concerned basin States detailing the location from where the raw water be drawn and the quantum there of and the points on which water drawn in excess shall be returned to the system after proper treatment.

(*d*) Monitoring return flows from the water withdrawn from Yamuna by the States of Uttar Pradesh and Haryana for the purpose of silt exclusion.

(*e*) Monitoring flows from tail race of khara hydel station into river Yamuna upstream of Hathnikund; provided that the design of Hathnikund Barrage should ensure optimum operation of Khara tail race channel and provision should also be made for stage II W.J.C. hydro-electric project.

(*f*) Framing of rules and regulations for water accounting and determination of the shares of water for each State for every 10 days period for purpose of regulation.

(*g*) Keeping of concurrent records of the flow of the Yamuna at all stations considered necessary by the Board, consideration/completion of the records and determination of the volume of water flowing in river Yamuna in a water year.

(*h*) Keeping concurrent records of data of withdrawals for irrigation, domestic, municipal and industrial or any other purpose and of water going down the river below Okhla.

(*i*) Ensuring delivery of supplies to all the concerned States in accordance with their entitlements by taking all necessary measures, *inter-alia*, by giving directions as regards installation of self recording gauges, taking observations without hindrance, preparing rating curves etc. The selection of the control points at which the Board requires appropriate measures to be taken as mentioned above shall include, but not be limited to all points at which Yamuna discharges are being shared by more than one State and all regulation points on the concerned rivers and canals for determining the shareable supplies. The decision of the Board shall be final and binding so far as the selection of the control points are concerned. All the concerned States shall cooperate fully and shall carry out promptly the day-to-day directions of the Board in regard to regulation and control of supplies, operation of gates and any other matters in their territory, for ensuring delivery of supplies as determined by the Board in accordance with their entitlements.

(*j*) Coordination of activities relating to and giving of appropriate directions so as to ensure as best as possible, the following:

(1) Construction of different works keeping in view funds availability and the desireability of obtaining quick results;

(2) Integrated operation of schemes for various uses like water supply, irrigation, industries, hydro-electric power, flood control etc., including withdrawals during construction of various works consistent with the provisions in the agreements between the Basin States;

(3) Monitoring, conservation and upgrading the quality of the surface and ground waters; and

(4) Smooth implementation of Inter-State projects.

(*k*) Overviewing plans for catchment area treatment, watershed management, rehabilitation of affected population and conservation of the environment of Inter-State projects and projects submerging areas in other States.

(*l*) Monitoring and reviewing the progress of all projects upto and including Okhla Barrage and advising on the phasing of projects on the basis of the work plans submitted by the Basin States.

(*m*) Monitoring of, in consultation with the Central Ground Water Board, exploitation of ground water in the Upper Yamuna Catchment and formulation of such regulations as would prevent over-exploitation of the ground water detrimental to the surface flow especially for ensuring minimum flow in the river system.

(*n*) Submission of Annual Report of its work done during each year to the Central Government as also to the Basin States.

(*o*) Such other function as the Central Government may, after consultation with the Government of the States of Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh and National Capital Territory of Delhi, may entrust to it.

3. The Board may, from time to time, appoint one or more advisory committee or committees for the purpose of enabling it to carry out its functions under this Resolution.

4. The Board shall meet as often as necessary but atleast once in every 3 months, and decide on a proper management of water including the manner and details of withdrawals from the storages and the river system.

5. The Chairman or any of the duly authorised representatives of the Board shall have power to enter upon any land property upon which any project or development of any project or any work of gauging or any other hydrological station or measuring device has been or is being constructed, maintained or operated by any State for the use of Yamuna waters. Each State through its appropriate Departments shall render all cooperation and assistance to the Board and its authorised representative in this regard.

6. The Board shall have powers to employ such staff as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions. For this purpose, the Board shall make efforts to obtain staff from all member States and Centre on deputation.

7. The expenditure on Upper Yamuna River Board shall be shared equally by the basin States.

8. The Board may, with the previous approval of the Central Government, make rules and regulatons to provide for:

(*a*) Regulating the time and place of meeting of the Board and the procedure to be followed for transactions of business at such meetings.

(*b*) Delegation of powers and duties of the Chairman or any official of the Board.

(*c*) The appointment and the regulation of the conditions of service of the officers and other staff of the Board.

(*d*) Any other matter for which regulations are considered necessary by the Board.

Copy forwarded to :

1-10. Chairman and Members of the Upper Yamuna River Board as in para 1 of the Annexure-II.

11-16. Chairman and Members of the Upper Yamuna Review Committee as in para 7 of the Resolution.

17. Secretary to Upper Yamuna Review Committee as in para 7 of the Resolution.

Sd/-
(K. P. SINGH)
Joint Commissioner (Indus.).

Copy also forwarded to:

1. (*i*) Private Secretary to the President of India.
   (*ii*) Military Secretary to the President of India.
   (*iii*) Principal Secretary to Prime Minister of India.
   (*iv*) Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.

2. Secretaries to Government of India in all Ministries and Departments.

3. **Haryana :**
   (*i*) P.S. to Governor, Haryana, Chandigarh.
   (*ii*) P.S. to Chief Minister, Haryana, Chandigarh.
   (*iii*) Chief Secretary to Government of Haryana, Chandigarh.
   (*iv*) Financial Commissioner and Secretary, Irrigation & Power Department, Government of Hayana, Chandigarh.
   (*v*) Chairman, Haryana State Electricity Board, Chandigarh.

4. **Uttar Yradesh :**
   (*i*) P.S. to Governor, U.P., Lucknow.
   (*ii*) P.S. to Chief Minister, U.P., Lucknow.
   (*iii*) Chief Secretary to Government of U.P., Lucknow.
   (*iv*) Principal, Secretary, Irrigation Department, Government of U.P., Lucknow.
   (*v*) Chairman, U. P. State Electricity Board, Lucknow.

5. **Rajasthan :**
   (*i*) P.S. to Governor, Rajasthan, Jaipur.
   (*ii*) P. S. to Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
   (*iii*) Chief Secretary to Government of Rajasthan, Jaipur.
   (*iv*) Secretary, Irrigation Department, Government of Rajasthan, Jaipur.
   (*v*) Chairman, Rajasthan State Electricity Board, Jaipur.

6. **Himachal Pradesh :**
   (*i*) P.S. to Governor, Himachal Pradesh, Shimla.
   (*ii*) P.S. to Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla.
   (*iii*) Chief Secretary to Government of Himachal Pradesh, Shimla.
   (*iv*) Secretary, Irrigation & Public Health Department, Government of Himachal Pradesh, Shimla.
   (*v*) Chairman, Himachal Pradesh State Electricity Board, Shimla.

7. **National Capital Territory of Delhi :**
   (*i*) P.S. to Lt. Governor, NCT of Delhi.

(*ii*) P.S. to Chief Minister, NCT of Delhi.
(*iii*) Chief Secretary to Government of NCT of Delhi.
(*iv*) Secretary, Urban Development Government of NCT of Delhi.

8. Chairman, Central Water Commission, New Delhi.
9. Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi.
10. Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure), Government of India, New Delhi.
11. Planning Commission, New Delhi.
12-13. P.S. to Minister (Water Resources) /Minister of State (Water Resources).
14. P.S. to Secretary (Water Resources).
15. P.S. to Additonal Secretary (Water Resources).
16-22. Commissioner (INDUS/PP/PR/CAD/WM/MI/ER), Ministry of Water Resources.
23-24. Joint Secretary (Administration)/Financial Advisor, Minittery of Water Resources.
25. Chairman, Central Ground Water Board, NH IV, Faridabad, Haryana.
26. Chairman, Central Pollution Control Board, New Delhi.
27. Director General, National Water Development Agency, Community Centre, Saket, New Delhi-110017.
28. Chairman, Ganga Flood Control Commission, Shinchai Bhavan, Patna-800015.
29. Managing Director, Water and Power Consultancy Services (India) Limited (WAPCOS), 5th Floor, Kailash, 26 Kasturba Gardhi Marg, New Dehli.
30. Director, Central Water and Power Research Station (CWPRS), Khadakwasla Research Station, Pune-411024.
31. Director, National Institute of Hydrology, Jal Vigyan Bhavan, University Campus, Roorkee-247667.
32. Director, Central Soil and Materials Research Station (CSMRS), Ol of Palme Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016.
33. Executive Member, Narmada Control Authority, BG 113, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar, Indore-452001.
34. Secretary, Sardar Sarovar Construction Advisory Commitiee. 4th Floor, Narmada Bhavan, A-Block, Indira Avenue, Vadodara-390001.
35. Member-Secretary, Central Board of Irrigation and Power, Mulcha Marg, Chanakya-puri, New Delhi.
36. Deputy Press Information Officer, Ministry of Water Resources.
37-38. Editors, Bhagirath (English)/ Bhagirath (Hindi) Journals, Central Water Commission, New Delhi.

(K. P. SINGH),
Joint Commissioner (*Indus*).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।